फर्द अहकाम

धन्नाराम बनाम ग्राम पंचायत खण्डेल वगैरह

निगरानी संख्या 6/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही विवरण	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13.7.2023	निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 राज. पंचायत रुल्स जनरल 1961 रुल्स 266 विरुद्ध जारी पट्टा द्वारा ग्राम पंचायत खण्डेल, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर बहक रूकमा देवी पत्नी श्री सोहन लाल जांगिड पेश की है। निगरानीधीन पट्टा ग्राम जैतपुरा, पोस्ट खण्डेल, तहसील फुलेरा जिला जयपुर में दिनांक 25.05.1994 को रूकमा देवी के हक में निःशुल्क 150 वर्गगज का पट्टा निगारनीकर्ता के बने हुए कच्चे मकान व बाडे से दिया गया जबकि निगरानीकर्ता के नाम से पर्वू में ही ग्रा.पं. खण्डेल, पं.स. सांभरलेक, जिला जयपुर से दिनांक 06.08.1982 को पट्टा सं. 13, मिसल सं. 13 क्षेत्रफल 150 वर्गगज जारी है, जिस पर निगरानीकर्ता का 50 वर्ष पूर्व से ही कब्जा है। ग्राम पंचायत में उक्त निगरानीधीन पट्टे का कोई रिकॉर्ड नहीं है जबकि दिनांक 25.03.1982 को पचांयत मीटिंग प्रस्ताव सं. 9 में निगरानीकर्ता के नाम से पट्टा जारी है। रूकमा देवी के पति सोहन लाल जांगिड भारतीय सेना से सेवानिवृत्त है जिसको निःशुल्क पट्टा जारी करना पंचायत राज नियम 1996 की धारा 157 (1) का उल्लंघन है। अतः प्रश्नगत पट्टा न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं आर्बीट्रेरी एण्ड कॉन्ट्रेरी टू लॉ होने के कारण निरस्तनीय है। पत्रावली प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सारिस्ता हुयी। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। निगरानीकर्ता को निगरानी प्रस्तुतीकरण पर ही एक पक्षीय सुना गया। विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि निगरानीकार की कब्जेशुदा भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकार सं. 2 के हक में विधि विरूद्ध पट्टा जारी किया गया जबकि उक्त भूमि पर दिनांक 06.08.1982 को पट्टा सं. 13, मिसल सं. 13 क्षेत्रफल 150 वर्गगज निगरानीकार के हक में जारी है। रूकमा देवी के पति सोहन लाल जांगिड भारतीय सेना से सेवानिवृत्त है जिसे निःशुल्क पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। प्रश्नगत पट्टे का ग्राम पंचायत में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। पुलिस थाना फुलेरा में उक्त के संबंध में एफआईआर भी दर्ज है। अतः निगरानीधीन पट्टा खारिज फरमाने की कृपा करें। हमने निगरानीकार द्वारा पेश प्रकरण को प्रस्तुतीकरण/ दर्ज स्तर पर ही सुनकर और दस्तावेजों का अवलोकन कर ये पाया कि निगरानीकार द्वारा आक्षेपाधीन पट्टा जो दिनांक 25.05.1994 को जारी किया गया है, की निगरानी लगभग 29 वर्ष बाद में विलम्ब से पेश करने का कोई ठोस एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए प्रस्तुत निगरानी मियाद बाहर स्पष्ट होती है। साथ ही निगरानीकार द्वारा अपनी निगरानी में और प्रार्थना पत्र अन्तर्गत मियाद अधिनियम में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसको गैर निगरानीकार सं. 2 द्वारा किस दिनांक को धमकी दी गई और उस धमकी के बाद में निगरानीकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई। ऐसी स्थिति में निगरानीकार का प्रार्थना पत्र बाबत मियाद अधिनियम सुसंगत पुष्ट नहीं होता है। इसके अतिरिक्त निगरानीकार द्वारा विवादित पट्टे पर अपना कब्जा होना बताया है किन्तु कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निगरानी प्रस्तुतीकरण के स्तर पर ही मियाद बाहर होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर	